

(viii) शासी परिषद को सलाह देने के प्रयोजनार्थ गठित शासी परिषद का विवरण

शासी परिषद: राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने 1860 के अधिनियम XXI की अपेक्षाओं के अनुसार एक शासी निकाय का गठन किया है।

निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं तथा वह शासी निकाय के संपूर्ण मार्गदर्शन में कार्य करते हैं जिसमें भारत सरकार के पदाधिकारी तथा प्रख्यात शहरी विशेषज्ञ होते हैं।

शासी परिषद के सदस्यों के संबंध में और सूचना का अद्यतन किया जा रहा है।